Tender for Satellite telephone system

4515. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the tender floated by the Department of Telecommunications (DOT) for financing the acquisition of large digital switching equipment through lease finance has flopped;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) how it is now proposed to meet the situation and what other option are being explored;

(d) what is the present stage of the introduction of SAT phones under the Inmarsat (International Mobile Satellite Organisation)-VSNL pact;

(e) what is the technology envisaged and its financial implications for this system; and

(f) in how many cities SAT phones will be introduced?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Deptt. of Telecom had floated a tender for financing of various telecom projects/equipments, including large digital switching equipment. For its' requirement for such alternate financing for 1994-95 DOT has tied-up adequate funds on leasing/deferred payment terms. Agreements for Large Digital Switches would be entered into as and when the details of field units are available.

(d) VSNL along with 38 other Government and operator owned companies, is a Share holder in I-CO Global Communications LTD., the company floated to provide global hand-held satellite based personal phone system. The company was incorporated in U.K. in January, 1995 and as per present projections it is envisaged that the services will be available in the year 1999-2000.

(e) The technology used is 12 satellites in Intermediate Circular Orbit (10,000 kms) and Satellite Access Nodes (about 12) and national Gateways that ensure connectivity to the fixed telephone network. The total cost of the system is estimated at US $2.9 Billion and is expected to be funded by debt of 30 per cent and equity of 70 per cent.

(f) The coverage is global in nature and, therefore, the services under this satellite phone system, when it is commissioned, will be available from all cities and rural areas.

एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन का स्थानांतरण

4516. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनैक्शन अपने ही नाम में स्थानांतरित कराने के संबंध में क्या प्रावधान है;

(ख) टेलीफोन कनेक्शन मंजूर होने के बाद तथा उसके लगने से पूर्व दिल्ली में एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में अपने ही नाम में कनेक्शन स्थानांतरण कराने संबंधी प्रावधानों और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी से अप्रैल, 1994 तक के० बी० एम० एक्सचेंज से ओखला एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन स्थानांतरित कराने हेतु ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) कितने आवेदनों को निपटा दिया गया है तथा कितने निपटाए जाने शेष हैं ;

(ङ) जिन आवेदनों को अब तक निपटाया नहीं गया है, उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इन आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दिल्ली में एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन को अपने ही नाम में स्थानांतरित कराने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :—

1. ओ०वाई०टी० श्रेणी के अंतर्गत मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शन को शिफ्ट करने की अनुमति तब प्रदान की जाती है जब टेलीफोन कनेक्शन के पंजीकरण के प्रारंभिक आवेदन की तारीख उस एक्सचेंज में, जिसमें कि उस टेलीफोन को शिफ्ट किया जाना अपेक्षित है, उसकी ओ० वाई० टी० श्रेणी के पंजीकरण को टेलीफोन प्रदान करने की अवधि के भीतर पड़ती हो अथवा इस टेलीफोन ने उस एक्सचेंज क्षेत्र में, जहां से इसे स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है, टेलीफोन कम से कम 6 माह तक की अवधि के लिए कार्य किया हो ।

2. गैर-ओ० वाई० टी० श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन शिफ्ट करने के मामले में स्थानांतरण की मंजूरी तब प्रदान की जाती है यदि टेलीफोन कनेक्शन के लिए नाम दर्ज कराने की प्रारम्भिक तारीख उस एक्सचेंज की विशिष्ट श्रेणी, जिसमें इसे शिफ्ट किया जाना है, की कनेक्शन दिए जाने की अवधि के भीतर पड़ती हो, इस टेलीफोन ने उस एक्सचेंज क्षेत्र जिसमें इसे शिफ्ट किया जाना है, में कम से कम 18 माह तक कार्य किया हो ।

3. तत्काल श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के मामले में, बिना किसी पूर्व-शर्त में, स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी (ओ० बी०) जारी हो जाने के पश्चात् परन्तु नए टेलीफोन कनेक्शन की संस्थापना से पूर्व एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में पते में परिवर्तन के लिए उपभोक्ता को संबंधित वाणिज्यिक अधिकार (पंजीकरण को आवेदन करना होता है तब जारी की गई ओ० बी० बिना अनुपालन किए वापिस (आर० डब्ल्यू० सी०) कर दी जाती है और मामले को वाणिज्यिक फाइल में हस्ताक्षरों के सत्यापन के पश्चात् नए एक्सचेंज एरिया के वाणिज्यिक अधिकारी (पंजीकरण) को भेजा जाता है । यदि नए एक्सचेंज में उपभोक्ता की बारी आ गई हो तो नए क्षेत्र के वाणिज्य अधिकारी, नए पते पर फिर से ओ० बी० जारी करेंगे । यदि बारी न आई हो तो उपभोक्ता को नया पंजीकरण नम्बर सूचित किया जाएगा ।

(ग) 31 आवेदन पत्र ।

(घ) सभी 31 आवेदन पत्रों का निपटान कर दिया गया है ।

(ङ) तथा (च) उपर्युक्त "घ" को देखते हुए लागू नहीं होता ।

Rising demand for telephones after the reforms

4517. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned, "Reforms to result in sharp rise in demand for phone appearing in the Week-end Observer of Business and Politics, New Delhi dated the 4th March, 1995;